न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–1086 / 2020

अंजली सरोज बनाम सुखलाल।

प्रार्थना पत्र 156(3) द0प्र0सं0
थाना–कोखराज, जिला कौशाम्बी।

दिनांक–24.12.2020

पत्रावली आज प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 आदेशार्थ नियत है। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि पर सुना जा चुका है।

पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 प्रस्तुत करके याचना की गयी कि विपक्षी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने एवं विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाये। थाने से आख्या तलब की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थिनी ने विपक्षी पर अश्लील हरकते करने, मारपीट करने एवं गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने आदि का आरोप लगाया है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थिनी को सभी तथ्यों की जानकारी है तथा विवेचना कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा **सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य, 2007(59) ए 0सी0सी0 739 तथा रामबाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, 2001(43) एं0सी0सी0 50** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द0प्र0सं0 परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 दिनांक 28.01.2021 को पेश हो।

दिनांक–24.12.2020

(कुलदीप सिंह–III)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी